Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में हत्या करने के आरोपी रवि मलिक को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ सश्रम आजीवन कारावास व 35,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त रवि पुत्र बलजोर निवासी गुराना रोड कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2023 में अपनी पत्नी की चुनरी से गला घोटकर हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 59/23 धारा 302/506 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 14.07.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रवि मलिक को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 35,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री अशोक सैनी
एडीजीसी

का0 प्रवीण कुमार
कोर्ट पैरोकार

विवेचक-निरीक्षक श्री नोवेन्द्र सिंह सिरोही(थाना प्रभारी बड़ौत)

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक- 14.07.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 390/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.07.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि उसका आयसर कैन्टर UP-17BT-0164 उसकी दुकान के पास से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 390/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 390/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को

गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 393/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0 390/25 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुलफाम पुत्र निजामूद्दीन निवासी मौहल्ला माता कॉलोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 216/2024 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 393/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत।

2-है0का0 214 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत।

3-है0का0 688 अस्वनी कुमार थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 14.07.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस, सर्विलांस सैल व स्वाट की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 386/25 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर व एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर नं0 UP-17V-9945 बरामद ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.07.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी इन्दराज पुत्र श्रीराम सिंह निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके पुत्र विपिन उर्फ गोधू की गोली मारकर हत्या कर दी है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 386/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे

अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस, सर्विलांस सैल व स्वाट की संयुक्त टीम ने द्वारा थाने के मु0अ0सं0 386/25 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर व एक मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर नं0- UP-17V-9945 बरामद हुयी है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 *398/25* धारा 109 बी.एन.एस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटनास्थल- सूजरा-निरोजपुर जाने वाला रास्ता थाना कोतवाली बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राहुल पुत्र इकबाल निवासी ग्राम सरूरपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर।
- एक मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर नं0- UP-17V-9945

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्र0नि0 श्री दीक्षित कुमार त्यागी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2- निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम जनपद बागपत।
3- उ0नि0 श्री सूर्यदीप सिंह प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद बागपत।
4- उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
5- उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
6- उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

7- उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
8- है0का0 202 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
9- है0का0 415 रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
10- का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
11- का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर दिनांक 14.07.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 130/25 धारा 115(2)/351(3) बीएनएस व 5m/6 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित एक बाल अपचारी के विरुद्ध की कार्यवाही।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 130/25 धारा 115(2)/351(3) बीएनएस व 5m/6 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित बाल अपचारी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री रजनीश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2-है0का0 317 मोहिन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना दोघट **दिनाँक 14.07.2025**

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

इनाम पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 युवनीश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

2-का0 413 आकाश सैनी थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना खेकडा दिनाँक 14.07.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक कार मारूति स्विफ्ट नं0 HR-30Q-6872 बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक कार मारूति स्विफ्ट नं0 HR-30Q-6872 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 219/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रितिक पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम बागरणप थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
हाल पता एस्कोर्ट कॉलोनी कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- एक कार मारूति स्विफ्ट नं0 HR-30Q-6872

गिरफ्तारी टीम-

1-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री भूवनेश्वर कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
3-है0का0 814 दीपक कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
4-है0का0 03 मनोज कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना खेकडा दिनाँक 14.07.2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता -

राशिद पुत्र नसीबुद्दीन निवासी ग्राम हसनपुर मसूरी थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० कुलजीत सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-है0का0 516 सतेन्द्र गिरि थाना खेकडा जनपद बागपत।

3-का0 750 शेखर कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना रमाला दिनाँक 14.07.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 149/25 धारा 110/115(2)/352/131 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27-05-2025 को थाना रमाला पर वादी अंकित पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.शिवम उर्फ सन्नी पुत्र धर्मेन्द्र, 2.धर्मेन्द्र पुत्र ब्रजपाल, 3.सतीश पुत्र विजयपाल निवासीगण ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत, 4.शौकीन पुत्र महावीर निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा उसके पिताजी कंवरपाल पुत्र हरपाल के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी, जिससे वह बेहोश गये व उसकी दुकान पर काम करने वाले अंकित पुत्र रविन्द्र उर्फ बब्लू निवासी ग्राम ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत के साथ मारपीट की। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 149/25 धारा 131/115(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा

थाने के मु0अ0सं0 149/25 धारा 110/115(2)/352/131 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-धर्मेन्द्र पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

2-शुभम पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-है0का0 819 दोसेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत।

3-का0 907 धर्मेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर दिनाँक 14.07.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 129/2025 धारा 80/85/351(3) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 12.07.2025 को थाना चांदीनगर पर वादी महाराज सिंह पुत्र मेघराज सिंह अराधक नगर दिल्ली ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. विपिन पुत्र जयकरण (पति) 2. जयकरण (ससुर)

निवासीगण ग्राम भगौट थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा उसकी पुत्री से दहेज में अतिरिक्त रुपयों की मांग की व मांग पूरी न करने पर मारपीट की तथा उसकी पुत्री की गला घोटकर हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 129/2025 धारा 80/85/351(3) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 129/2025 धारा 80/85/351(3) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विपिन पुत्र जयकरण निवासी ग्राम भगौट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-है0का0 186 इमरान खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत।